रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228738
SG-DL-E-04082021-228738

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 113
No. 215]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 113

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

सं. फा. 19(183)/परिवहन/सचि./2017/70257.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात को उचित समझते हुए एवंम संतुष्ट होने पर कि यह जन–सुरक्षा की दृष्टि से एवंम दिल्ली की आम जनता की सुविधा के हित में है, इसके द्वारा इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समय के दौरान निर्दिष्ट सड़को और क्षेत्रों पर निर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों के चलाने तथा निष्प्रयोजन पार्किंग पर निम्नलिखित अनुसार प्रतिबंध लगाते हैं।

अनुसूची

क. सं.	सड़क/क्षेत्र का नाम	वाहन की श्रेणी	निषेध समय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आगरा कैनाल रोड से कालिंदी कुंज से फरीदाबाद बॉर्डर तक	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम

		वाहनों को छोड़कर)	05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
2	पटौदी हाउस रोड़, दरियागंज से टी–पॉइंट कस्तूरबा अस्पताल मार्ग से टी–पॉइंट दखनी राय स्ट्रीट।	भारी माल वाहन, मध्य माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	दोपहर 12:00 से शाम 03:00 बजे।
3	संपर्ण फ़िरनी रोड/ सर्कुलर रोड़, नजफ़गढ (दिल्ली गेट– छावला रोड़ क्रॉसिंग–धंसा रोड क्रॉसिंग)	भारी माल वाहन और मध्यम माल वाहन	प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
4	झरोदा स्टैंड/ क्रॉसिंग – नांगलोई स्टैंड/ क्रॉसिंग – फर्नीचर बाजार – ग्रामीण स्वास्थ प्रशिक्षण केंद्र – दिल्ली गेट सहित टी–पॉइंट क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च और श्री कृष्ण मंदिर टी–पॉइंट।	हल्के माल वाहन (3 पहियों वाले हल्के माल वाहनों को छोड़कर)	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
5	धंसा रोड़ (मित्रो ग्राम केर क्रॉसिंग से फिरनी रोड़, नजफगढ़ तक)	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
6	बहादुरगढ़ रोड़ (झरौदा सीमा से फ़िरनी रोड़ नजफ़गढ़ तक)	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वानों को छोडकर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे रात्रि 11:00 बजे तक।
7	नांगलोई रोड़ (डीटीसी के पास नाला से/डीआईएमटीएस दिचाऊं कलां बस डिपो तक फिरनी रोड़)।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
8	शिवाजी मार्ग/ नजफगढ़ रोड़ (नजफगढ़ नाले से फिरनी रोड़ नजफगढ़ तक)	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
9	बारापुल्ला रोड़ से रिंग रोड़ – आईएनए से सराय काले खान तक।	सभी श्रेणियों की बसें (मिनी बसों और आरटीवी को छोड़कर), ग्रामीण सेवा वाहन, भारी माल वाहन, माध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन, ई–रिक्शा और ई–गाड़ियां।	24 घंटे।
10	नजफगढ़ रोड़ से विकास पुरी बाहरी रिंग रोड़ (जिला केंद्र विकास पुरी) नजफगढ़ ड्रेन (ककरोला पुलिस पिकेट) तक।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।
11	रोहतक रोड़ से टिकरी सीमा, पीरा गढ़ी तक।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और शाम 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।

12	करोल बाग, सदर बाजार, कमला नगर, गांधी नगर, विकास मार्ग, सरोजनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, युसुफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मुख्य बाजार सेक्टर 10, द्वारका के आसपास/ सड़कों पर।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन, हल्के माल वाहन।	दोपहर 12:30 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।

विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए समय–समय पर अधिसूचित मौजूदा निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अधीन उक्त निषेधाज्ञा/ प्रतिबन्धों का संकेत देने वाले उपयुक्त सूचनात्मक ट्रैफिक संकेतों द्वारा उपयुक्त स्थानों पर चिन्हीत किया जाएगा।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd August, 2021

No. F.19(183)/Tpt./Sectt./2017/70257.—In exercise of the powers conferred by Section 115 (read with clause (41) of section 2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of general public do hereby prohibits or restricts, the plying and idle parking of specified categories of vehicles on specified roads and areas against each category of the vehicle during specified timing as enlisted in the schedule annexed with the said notification in the following manner :

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Road / Area	Category of Vehicle	Prohibition Timings
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agra Canal Road from Kalindi Kunj to Faridabad Border	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
2	Pataudi House Road, Daryaganj from T-Point Kasturba Hospital Marg to T-Point Dakhni Rai Street	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	12:00 Noon to 03:00 PM
3	Entire Phirni Road/ Circular Road, Najafgarh (Delhi Gate – Chhawla Road crossing – Dhansa Road crossing	Heavy Goods Vehicles and Medium Goods vehicles	07:00 AM to 11:00 PM
4	Jharoda Stand/ crossing – Nangloi stand / crossing –	Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM

	Furniture market – Rural Health Training Centre – Delhi gate including road stretch between T-Point Christ Methodist Church and Shri Krishan Mandir T-Point		
5	Dhansa Road (From Mitraon Village Kair crossing upto Phirni Road, Najafgarh	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
6	Bahadurgarh Road (From Jharoda Border upto Phirni Road Najafgarh).	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
7	Nangloi Road (from Nala near DTC/DIMTS Dichaun Kalan Bus Depot upto Phirni Road.	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
8	Shivaji Marg/Najafgarh Road (from Najafgarh Drain upto Phirni Road, Najafgarh)	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
9	Barapulla Road from Ring Road – INA to Sarai Kale Khan	All categories of buses (excluding mini buses and RTVs), Gramin Sewa vehicles, Heavy Goods Vehicles, Medium Goods Vehicles, Light Goods Vehicles, E-rickshaw and E-carts.	24 Hours
10	Najafgarh Road from Vikas Puri outer ring road (District Centre Vikas Puri) upto Najafgarh Drain (Kakrola Police Picket)	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
11	Rohtak Road from Tikri border to Peeragarhi	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
12	In and around the vicinity / roads of Karol Bagh, Sadar Bazar, Kamla Nagar, Gandhi Nagar, Vikas Marg, Sarojini Nagar, Green Park, Lajpat Nagar, Yusuf Sarai, Mahipalpur, Rajouri Garden, Tilak Nagar, Main Market Sector - 10, Dwarka.	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles, Light Goods Vehicles	12:30 PM to 08:00 PM

The existing prohibition as notified from time to time for different categories of vehicles shall also prevail.

This shall also be indicated by appropriate traffic signs placed or erected under section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988 at suitable places.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

K.K. DAHIYA, Spl. Secy. (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.04 22:26:35 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13082022-238087
SG-DL-E-13082022-238087

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2022/श्रावण 21, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220
No. 389] DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2022/SRHAVANA 21, 1944 [N. C. T. D. No. 220

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

फा. सं. 19(183)/परिवहन/सचि./2017/74376.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात को उचित समझते हुए एवंम संतुष्ट होने पर कि यह जन–सुरक्षा की दृष्टि से एवं दिल्ली की आम जनता की सुविधा के हित में है, इसके द्वारा अधिनियम संख्या 19(183)/परिवहन/सचि./2017/70257 दिनांक 03 अगस्त, 2021 में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन करते हैं:–

1. अनुसूची में संशोधन :–

(1) तालिका में, क्रमांक 3 तथा 4 की प्रविष्टियों को विला कर निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाएगा:–

3	संपूर्ण फ़िरनी रोड/ सर्कुलर रोड़, नजफ़गढ (दिल्ली गेट–छावला रोड़ क्रॉसिंग–ढांसा रोड क्रॉसिंग–झडोदा	भारी माल वाहन और मध्यम माल वाहन	प्रातः 07:00 बजे से रात्रि: 11:00 बजे तक।

	स्टैंड/ क्रॉसिंग–नांगलोई स्टैंड/ क्रॉसिंग–फर्नीचर बाजार–ग्रामीण स्वास्थ प्रशिक्षण केंद्र–दिल्ली गेट जिसमें टी–पॉइंट क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च और श्रीकृष्ण मंदिर टी–पॉइंट के बीच का रोड़ स्ट्रेच भी शामिल है।।	हल्के माल वाहन (3 पहियों वाले हल्के माल वाहनों को छोड़कर)	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और सायः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।

(2) क्रमांक 5 से 12 की प्रविष्टियों को क्रमांक 4 से 11 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(3) क्रमांक संख्या 12 की प्रविष्टियाँ जो अब क्रमांक 11 हो गई हैं, उन्हें निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

11	करोल बाग, सदर बाजार, कमला नगर, गांधीनगर, विकास मार्ग, सरोजनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, युसुफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मुख्य बाजार सेक्टर 10, द्वारका के आसपास/ सड़कों पर।	माल वाहनों की सभी श्रेणियां।	दोपहर 12:30 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए समय–समय पर अधिसूचित मौजूदा निषेध भी लागू रहेगा।

(4) एक प्रविष्टि निम्न क्रमांक पर निम्नानुसार डाली जाएगीः–

12	मुख्य नांगलाई–नजफगढ़ रोड नांगलोई चौक से रिशाल गार्डन तक।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और सायः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।

2. उक्त अधिसूचना का तीसरा अंतिम पैरा अर्थात '' विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए समय–समय पर अधिसूचित मौजूदा निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी'' का लोप किया जाता है।
3. इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों (वाहन श्रेणी एल 5 एन और एन 1) को निर्दिष्ट समय तथा चिन्हित सड़कों पर इन वाहनों को चलने और निष्क्रिया पार्किंग करने के लिए किसी भी प्रतिबंध से दी गई छूट जारी रहेगी।
4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अधीन उक्त निषेधाज्ञा/ प्रतिबन्धो का संकेत देने वाले उपयुक्त सूचनात्मक ट्रैफिक संकेतों द्वारा उपयुक्त स्थानों पर चिन्हित किया जाएगा।
5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, विशेष आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th August, 2022

F. No. 19 (183)/Tpt./Sectt./2017/74376.—In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of general public of Delhi do hereby amend the NotificationNo. F. 19 (183)/Tpt./Sectt./2017/70257 dated 03rd August, 2021 in the following manner:-

1. **Amendments of Schedule:-**

(1) In the table, the entries at serial number 3 and 4 shall be merged and substituted as under:-

3	Entire Phirni Road/ Circular Road,	Heavy Goods Vehicles and Medium	07:00 AM to 11:00 PM

	Najafgarh (Delhi Gate – Chhawla Road crossing – Dhansa Road crossing – Jharoda Stand/ crossing – Nangloi stand / crossing – Furniture market – Rural Health Training Centre – Delhi gate including road stretch between T-Point Christ Methodist Church and Shri KrishanMandir T-Point	Goods vehicles	
		Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM

(2) The entries at serial number 5 to 12 shall be renumbered as serial number 4 to 11.

(3) The entries at serial number 12 which now become serial number 11 shall be substituted as under:-

11	In and around the vicinity / roads of Karol Bagh, Sadar Bazar, Kamla Nagar, Gandhi Nagar, Vikas Marg, Sarojini Nagar, Green Park, Lajpat Nagar, Yusuf Sarai, Mahipalpur, RajouriGarden, Tilak Nagar, Main Market Sector - 10, Dwarka	All categories of goods vehicles	12:30 PM to 08:00 PM The existing prohibition as notified from time to time for different categories of vehicles shall also prevail.

(4) An entry shall be inserted at Serial Number as under:-

12	Main Nangloi- Najafgarh Road from NangloiChowk to Rishal Garden	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles and Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled Light Goods Vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM 05:00 PM to 11:00 PM

2. The 3rd last para of the said notification i.e. “The existing prohibition as notified from time to time for different categories of vehicles shall also prevail” shall be deleted.

3. The exemption from any prohibition of plying and idle parking shall continue to prevail on the e-Light Goods Vehicles (vehicle category L5N and N1) on identified roads during specified times.

4. This shall also be indicated by appropriate traffic signs placed or erected under section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988 at suitable places.

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of The Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Special Commissioner (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA